न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

वाद संख्या – 29/2013

पीठासीन अधिकारी'– लक्ष्मीकांत कटारा आर ए एस

पूनीराम पुत्र भोरया जाति माली उम्र 55 साल निवासी सत्यनारायण मोहल्ला आलनपुर सवाई माधोपुर(राजस्थान)
.... वादी

बनाम

1. कैलाश चंद पुत्र श्री बदरी लाल उम्र 40 साल
2. गिर्राज प्रसाद पुत्र बदरी लाल उम्र 35 साल
   जातियान माली निवासी सत्यनारायण मोहल्ला आलनपुर सवाई माधोपुर
3. फूलचंद पुत्र नन्दा उम्र 50 साल जाति माली निवासी धर्मकाटा के सामने नई अनाज मण्डी रोड आलनपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर ...**फोत**
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री गिर्राज प्रसाद गुर्जर एडवोकेट– वादी की और से

श्री बी.डी.माली एडवोकेट– प्रतिवादी सें.1 व 2 की और से

आदेश

दिनांक 24.01.2018

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

प्रतिवादी सं.1 व 2 की और से दिनांक 15.2.16 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का दायर किया कि वाद मे वर्णित कृषि भूमि वादी के पिता भोरया तथा भोरया के दो अन्य भाई जयराम ,तथा रामनारायण के पिता किशन की छोडी हुई होना वादी ने स्वीकार किया हैं। आराजीयात मुतदाविया वादी के पिता भोरया के पिता किशन के देहान्त के बाद वादी के पिता भोरया तथा भोरया के दोनो छोटे भाई जयराम तथा रामनारायण को उनके पिता किशन (मृतक) के उत्तराधिकार मे प्राप्त हुयी हैं जिसमे वादी के पिता भोरया के हिस्सा 1/3 की भूमि को सेटलमेंट विभाग ने भोरया की तरफ से रामनारायण के हक मे रिलीज(हकत्याग)कर देने कों आधार बनाकर भोरया के छोटे भाई रामनारायण के नाम दर्ज़

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कर दिया यह तथ्य भी वादी ने स्वीकार किया हैं।वादी के काका रामनारायण का देहान्त हो जाने के बाद रामनारायण मृतक की कृषि भूमि विरासत के अनुसार रामनारायण की विधवा पत्नि तथा रामनारायण की पुत्रीयों की खातेदारी मे दर्ज हो गयी। तदुपरांत रामनारायण की पुत्रीयो ने कृषि भूमि खसरा नं. 1706/34 रकबा 5 बीधा 11 विस्वा मे से उनके हिस्सा 2/3 की भूमि को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 11.3.94 को प्रतिवादी सं.1 व 2 के नाम तसदीक होकर जमाबंदी में अमल भी हो गया उक्त सभी तथ्यो की जानकारी वादीगण को होते हुऐ वादीगण ने इन तथ्यो को छुपाते हुऐ यह दावा दायर किया हैं। यदि उक्त तथ्य वाद मे वर्णित किये जाते तो हस्तान्तरण के दस्तावेज की वैधानिकता एवं सेटलमेंट विभाग के निर्णय की वैधानिकता का निर्णय करने का प्रश्न पैदा हो जाता हैं । उक्त प्रश्न के निर्णय हेतु राजस्व न्यायालय को अधिकार न होकर केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः दावा वादी सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 सपठित दफा 207 राजस्थान टीनेन्सरी एक्ट के अनुसार न्यायालय हाजा को वाद का सुनवाई का अधिकार नहीं होने से काबिले इखराज हैं। दावा निरस्त फरमाया जावें।

वादीगण की और से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे सभी महत्वपूर्ण तथ्य अस्वीकार करते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी ने गलत तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र दायर किया हैं खसरा नं. 1706/34 रकबा 5 बीधा 11 विस्वा मे से 2/3 हिस्सा रामनारायण ने गलत बेच दिया। रामनारायण के वारिसान को 12/3 हिस्सा बेचने का अधिकार नहीं था अगर कहीं सहवन से राजस्व रिकोर्ड मे गलत इन्द्राज हो गया तो वाद पत्र के माध्यम से दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं जिसका न्यायालय हाजा को अधिकार हैं।आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकियां संहिता मे प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य तय नहीं हो सकते, आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मे मात्र कोर्ट फीस, क्षैत्राधिकार विवाद का कारण पक्षकार का ही तय किया जा सकता हैं। सभी तथ्य मूल वाद मे तय होगें। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। विध्दान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण ने वहीं तथ्य दोहराये जो कि अपने अभिकथनों में अंकित किया हैं।

पत्रावली का गहन अध्ययन एवं मनन किया। प्रतिवादी सं.1 व 2 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादीगण की और से यह दावा आराजी खसरा नं. 1706/34 रकबा 5 बीधा 11 विस्वा जिसके नये नम्बर 2406 रकबा 0.57 हैक्टेयर खसरा नं.2409 रकबा 0.83 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.40 हैक्टेयर बन गये हैं जिसमे वादी का 1/3 कब्जा काश्त हैं तथा प्रतिवादी सं.1 व 2 के हिससा में 2/3 हिस्सा रिकोर्ड

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में दर्ज हो जाने के कारण रहन बय व अन्य तरह से मुन्तकिल नहीं करें। उक्त कृषि भूमि को आगे आराजीयात मुतनाजा के नाम से संबोधित किया जावेगा।

विध्दान अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1 व 2 ने अपने आवेदन में यह तथ्य अंकित किये कि आराजीयात मुतदाविया में वादी के पिता भोरया के पिता किशना के देहान्त के बाद भोरया, जयराम तथा रामनारायण पिसरान किशना को बतौर उत्तराधिकार प्राप्त हुयी उक्तानुसार वादीगण के पिता भोरया का 1/3 हिस्सा हुआ , तथा भोरया की तरफ से रामनारायण के हक में हकत्याग कर देने पर भोरया के छोटे भाई रामनारायण के नाम दर्ज कर दिया । वादीके काका रामनारायण का देहान्त होने पर रामनारायण के वारिस विधवा पत्नि व रामनारायण की पुत्रीयो की खातेदारी में दर्ज हो गयी। मृतक रामनारायण की विधवा पत्नि व रामनारायण की पुत्रीयो ने उक्त आराजीयात मुतदाविया मे अपने हिस्सा 2/3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.3.84 को प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बेच दिया ।जिसकी जानकारी वादीगण को हैं । इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उक्त आराजीयात मुतदाविया जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय की हैं।इसके समर्थन में प्रतिवादीगण की और से प्रमाणित प्रति बयान भोरया , रामनारायण ,एवं सीताराम एवं भूप्रबंध विभाग का निर्णय की प्रति पेश की हैं।

उक्तानुसार न्यायालय हाजा को सर्व प्रथम यह तय करना हैं कि आराजीयात मुतदाविया प्रतिवादी सं.1 व 2 द्वारा उक्त आधारों पर रामनारायण के वारिस उनकी विधवा व पुत्रीयों से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करने के बाद जरिये नामान्तरकरण संख्या 283 दिनांक 17.6.97 से राजस्व अभिलेख में प्रति.सं.1 व 2 नाम खातेदारी इन्द्राज करवा जा चुका हैं। वादीगण ने इस वाद के जरिये आराजीयात मुतनाजा को अपने हक में इन्द्राज दुरूस्ती व तकासमा इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा चाहीं हैं जबकि आराजीयात मुतनाजा में पंजीकृत विक्रय विलेख से बेचान हो चुकी हैं । ऐसी स्थिति में यह तय करना हैं जब तक पंजीकृत विक्रय विलेख के वैध/अवैध बाबत निर्णय नहीं हो जाता तब तक न्यायालय हाजा इस्तकरार हक बाबत धोषणा बाबत आदेश प्रतिपादित करना विधिसंगत हैं अथवा नहीं? इस विधिक बिन्दु का तय करना अनिवार्य हैं।

वादीगण की और से उक्त विधिक बिन्दु के तय करने के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय की निम्न नजीर प्रस्तुत की –

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

1. 2017(3)डीएनजे (राज.) 1035 – बउनवानी राजेश्वर सिंह चुडावत बनाम राजस्थान राज्य– सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 11– निषेधाज्ञा हेतु वाद–प्रश्नगत सम्पत्ति पर स्वत्व के संबंध मे प्रश्न विवादास्पद है और साक्ष्य अभिलिखित करने के बाद निर्धारित किया जा सकता है– विक्रय विलेख के निरस्तीकरण का अनुतोष नही चाहा–वाद मून्यांकन कम होना प्रतीत नही होता– यह नहीं कहा जा सकता कि वादपत्र कोई वाद कारण प्रकट नही करता–निर्णीत, आलोच्य आदेश में अवैधता नहीं है व यथावत् रखा।
2. 2013(1)डीएनजे (राज.) 358– बउनवानी सांगानेर अग्रो. व कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लि. व अन्य बनाम जानकी देवी व अन्य– सिविल प्रकिया संति, 1908–आदेश 7 नियम 11– वादपत्र का खारिज करना– आवेदन खारिज किया– कृषि भूमि के संबंध में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद–विक्रय पत्र को अकृत व शून्य घोषित कराना चाहा– प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 की तृतीय अनुसूची के अंतर्गत नही आता है– निर्णीत, आदेश न्यायसंगत है व हस्तक्षेप वांछनीय नही है।
3. 2013(1)डीएनजे (राज.) 368– बउनवानी चौमू सहकारी क्रय विक्रेता समिति लि. बनाम जगदीश प्रसाद मीना व अन्य– सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 11– विधि द्वारा वर्जित होने से वादपत्र खारिज किया– अपीलाण्ट के पक्ष में विक्रय हेतु करार–विनिर्दिष्ट पालना हेतु वाद– सोसायटी या कम्पनी ज्यूरिस्टिक व्यक्ति नहीं है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना नहीं कहा जा सकता–राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42(बी) के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि का हस्तान्तरण वर्जित है– धारा 42 के अंतर्गत वाद पेश करना वर्जित नही है और आदेश 7 नियम 11 (डी) के अंतर्गत वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता–निर्णीत, आदेश अपास्त किया तथा विचारण न्यायालय को विधिनुसार वाद निर्णीत करने का निर्देश दिया।
4. 2013(2)डीएनजे (राज.) 498– बउनवानी नाथूराम सेठ बनाम श्रीमति पूनम सेठ व अन्य– सिविल प्रकिया संहिता, 1908–अदेश 7 नियम 11–वादपत्र का खारिज करना– आवेदन खारिज किया–विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद–सम्पत्ति वादी के पिता व रेस्पोण्डेन्ट नं. 2 से 4 के पिता की थी–इस आधारा पर वाद पत्र खारिज नही किया जा सकता कि वाद हेतुक उत्पन्न नही हुआ–निर्णीत, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत व उचित है।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

5. 2013(2)डीएनजे (राज.) 706– बउनवानी परमेश्वरी देवी व अन्य बनाम मूर्ति मंदिर सत्यनारायण भगवान व अन्य– सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 11 –वादपत्र का खारिज करना– आदेश खारिज किया–स्थायी व आदेशात्मक निषेधाज्ञा हेतुवाद– आपत्ति उठाई कि वादी नं. 2 को वादी नं. 1 की ओर से वाद पेश करने का अधिकार नही है तथा प्रतिवादीगण प्रश्नगत परिसर के स्वामी है और मंदिर की पूजा कर रहे है– पुजारी एवं भक्त की हैसियत से तथा देवता वादी नं. 1 के लिये और उनकी ओर से वाद पेश किया–क्या अपीलाण्ट्स के विरूद्ध वादी को वाद लाने का अधिकार है साक्ष्य का मामला है– वादपत्र में वाद हेतुक खुलासा किया–निर्णीत, आवेदन खारिज करने में अवैधता या प्रतिकूलता नहीं है।
6. 2012(1)डीएनजे (राज.) 176– बउनवानी बीदामी देवी बनाम श्रवण कुमार जांगिड– सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 11–वाद को खारिज करने हेतु आवेदन– बेनामी लेनदेन की आपत्ति उठायी– साक्ष्य अभिलिखित किये बिना प्रश्न निर्णीत नही किया जा सकता–केवल नागपुर स्थित सम्पत्ति को शामिल करने के आधार पर जयपुर स्थित तीन सम्पत्तियों के विभाजन के वाद को धारा 16 के अंतर्गत खारिज नही किया जा सकता–निर्णीत, विचारण न्यायालय द्वारा अवैधता या तात्विक अनियमितता कारित नही की गई है।
7. 2012(2)डीएनजे (राज.) 806– बउनवानी नाथूराम शर्मा व अन्य बनाम अतिरिक्त जिला जज (फास्ट ट्रेक) नं. 2, जयपुर जिला जयपुर व अन्य– सिविल प्रकिया संहिता, 1908–आदेश 7 नियम 11– वादपत्र को खारिज करना– आपत्ति उठाई कि वाद पोषणीय नहीं है– इस स्तर पर तथ्य के विवादित प्रश्न निर्णीत नहीं किये जा सकते– साक्ष्य का अभिलिखित किया जाना आवश्यक है– निर्णीत, आवेदन सही खारिज किया।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 की और से अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्न नजीर पेश की ।

1. आरआरडी 2009 पेज 751 बउनवानी रनजीत कॉर बनाम भगवान दास– में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश प्रतिपादित किया हैं कि विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया हैं इस कारण दावा चलने योग्य नहीं हैं।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

हमने प्रतिवादीगण एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों को ससम्मान अध्ययन एवं मनन किया। वादीगण की और से प्रस्तुत नजीर क्रम सं.1 व 3 लगायत 7 मौजूदा प्रकरण में चस्पा नहीं होती क्योंकि उक्त किसी भी नजीर में पंजीकृत विक्रय विलेख के विरूध्द राजस्व न्यायालय का क्षैत्राधिकार होना नहीं माना गया हैं इस प्रकार उक्त कोई भी नजीर मौजूदा प्रकरण में चस्पा नहीं होती।

वादीगण की और से प्रस्तुत क्रम सं.2 –2013(1)डीएनजे (राज.) 358– बउनवानी सांगानेर अग्रो. व कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लि. व अन्य बनाम जानकी देवी व अन्य– सिविल प्रक्रिया संता, 1908–आदेश 7 नियम 11– वादपत्र का खारिज करना– आवेदन खारिज किया– कृषि भूमि के संबंध में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद–विक्रय पत्र को अकृत व शून्य घोषित कराना चाहा– प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 की तृतीय अनुसूची के अंतर्गत नही आता है– निर्णीत, आदेश न्यायसंगत है व हस्तक्षेप वांछनीय नही है।

उक्त प्रकरण मे यह माना हैं कि पंजीकृत विक्रय पत्र को अकृत व शून्य धोषित करने का हक सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं । तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 व तृतीय अनूसूची के अन्तर्गत नहीं आता। यह नजीर प्रतिवादीगण के अभिकथनों की पुष्टि करती हैं कि राजस्व न्यायालय को पंजीकृत विक्रय विलेख के अवैध/वैध बाबत निर्णय करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार यह नजीर वादीगण की सहायता न कर प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की पुष्टि करती हैं।

प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत नजीर आरआरडी 2009 पेज 751 बउनवानी रनजीत कॉर बनाम भगवान दास– में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आदेश प्रतिपादित किया हैं कि विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया हैं इस कारण दावा चलने योग्य नहीं हैं।

उक्त नजीर में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत किया गया हैं कि जब तक बेचान को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करा लिया जाता तब तक वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अधिनियम का चलने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार किया जाकर दावा निरस्त किया गया हैं।

उक्तानुसार प्रकरण के समस्त वजूहात, एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत नजीरों के गहन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहूँचते हैं कि आराजीयात मुतदाविया जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 11.3.94 प्रतिवादी सं.1 व 2 को बेच दिये जाने पर प्रतिवादी सं.1 व 2 के हक में नामान्तरकरण तसदीक होकर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात होने के बाद उसे खातेदारी हक प्राप्त हो चुके हैं। वादी की और से उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के विरूध्द अनुतोष देने का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं। आदेश 7 नियम 11 में क्षेत्राधिकार नहीं होने पर वाद की सुनवाई वर्जित करने की व्यवस्था स्थापित हैं। अतः हमारे विनम्र अभिमत में प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर दावा वादीगण निरस्त किया जाना विधि संगत हैं।

आदेश

उक्त विवेचना के अध्ययधीन प्रतिवादी सं.1 व 2 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 दिनांक 15.2.16 स्वीकार किया जाकर वादी का दावा अस्वीकार कर निरस्त किया जाता हैं।

(लक्ष्मीकांत कटारा)
उप जिला कलक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

आदेश आज दिनांक 24.01.18 को निवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित एवं उच्चारित किया गया।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर